उत्तर प्रदेश शासन

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5

संख्या–क0नि0–5–3229/11–2009–500(54)–2009

लखनऊ: दिनांक: 17 अगस्त, 2009

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा शासनादेश संख्या–1820/77–3–09–286एन/7, दिनाँक 22 मई, 2009 द्वारा निर्गत आर्थिक मंदी नीति से आच्छादित वृहद् एवं मध्यम स्तर की समेकित विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास निगम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद एवं उत्तर प्रदेश के सभी प्राधिकरणों द्वारा विकासकर्ता के पक्ष में निष्पादित लिखतों पर विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशन के दिनाँक से प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से निम्न शर्तो के अधीन छूट प्रदान करते हैं:–

(क) सम्बंधित विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो विशेष सचिव के स्तर से कम न हो, यह प्रमाणित करेगा कि परियोजना उपरोक्त नीति से आच्छादित है और विकासकर्ता उक्त नीति के अधीन स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने का हकदार है। लिखत के रजिष्ट्रीकरण के समय इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) प्रभार्य स्टाम्प–शुल्क में छूट केवल परियोजना के विकासकर्ता को अनुमन्य होगी, परन्तु वृहद स्तर की परियोजना के मामले में स्टाम्प शुल्क से छूट विकासकर्ता द्वारा राज्यसरकार द्वारा अनुमत उप पट्टेदार के पक्ष में कोर आर्थिक गतिविधि के लिये निष्पादित भूमि अन्तरण की प्रथम लिखत पर भी प्राप्त होगी। इस सम्बन्ध में सम्बंधित विभाग द्वारा भी प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

(ग) ऐसी परियोजनाओं जिनके सम्बन्ध में इस अधिसूचना के पूर्व छूट या कमी मिल चुकी है, उनकी समीक्षा नहीं की जायेगी।

(घ) किसी लिखत पर पहले से ही संदत्त किसी स्टाम्प शुल्क को वापस नहीं किया जायेगा।

(ड.) यदि परियोजना का कियान्वयन न हो तो राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए सम्बंधित विभाग द्वारा स्टाम्प शुल्क छूट सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

आवंटी/विकासकर्ता/उपपट्टेदार द्वारा बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जायेगा।

स्पष्टीकरण

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए –

(1) "वृहद स्तरीय परियोजना" का तात्पर्य 500 हेक्टेअर क्षेत्रफल या उससे अधिक क्षेत्रफल की परियोजना से है।

(2) "मध्यम स्तरीय परियोजना" का तात्पर्य 100 हेक्टेअर या उससे ऊपर 500 हेक्टेअर तक परियोजना से है।

आज्ञा से

(वेश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव।

UTTATR PRADESH SHASAN
KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-5

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no K.N.5- 3279 / XI- 2009-500(54)-2009 dated August 17, 2009 for general information :-

NOTIFICATION

No.K.N.5-3279/XI-2009-500(54)-2009

Dated Lucknow August 17, 2009

In exercise of the powers under clause (a) of sub section (F) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette the Stamp duty chargeable in respect of the instruments of transfer of lands executed by the Industrial Development Corporation, Uttar Pradesh Awas Vikas Parishad and all development authorities in Uttar Pradesh in favour of, developers of the large and medium scale Integrated Development Projects covered by the policy of economic receission under G.O. N0 1820/77-3-09-286N/7 dated 22 May,2009 issued by the Industrial Development Department of Government of Uttar Pradesh subject to following conditions:-

(a) The Principal Secretary/Secretary of concern department or his nominee not below the rank of Special Secretary shall certify that Project falls under the said policy and the developer entitled to remission of stamp duty thereunder . A certificate to this effect will be produced at the time of registration of instrument.

(b) The remission of stamp duty shall be admissible only to the developer of the project, but incase of large scale projects, the remission of stamp duty shall be admissible on the first instrument of transfer of land executed by developer in favour of sub–lessee permitted by State Government for core economic activity. The certificate in this respect will also be issued by concerned department

(c) Any project in which remission or reduction has already been given prior to this notification need not be reviewed.

(d) Any stamp duty which has been paid on any instrument shall not be refunded.

(e) Certificate of remission be issued by concerned department only after production of Bank Guarantee by the allottee /developer/ sub-lessee to recoup revenue losses if the project is not implemented.

EXPLANATION:

For the purposes of this notification :-

(1) "Large scale projects" means projects having area of five hundred hectare or above.

(2) "Medium scale projects" means projects having area of one hundred hectare or above up to five hundred hectare.

By Order,

(Desh Deepak Verma)
Pramukh Sachiva.

संख्या–3279 (1)/11–5–2009–500(54)/2009 तददिनाकः

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 17.8.09 के असाधारण गजट के भाग–4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की दो सौ प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद और एक सौ प्रतियां शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

संख्या–3279 (2)/11–5–2009–500(54)/2009 तददिनाकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा,गौतमबुद्ध नगर।
(8) आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/शिविर लखनऊ को इस अपेक्षा से कि वे अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करें।
(9) आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
(10) निदेशक, सूडा, नवचेतना भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
(11) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, लखनपुर, कानपुर नगर।
(12) निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर नगर।
(13) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(14) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(15) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, सूचना निदेशालय, लखनऊ।
(16) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु,12 सी माल एवेन्यू, लखनऊ।
(17) शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(18) विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।